तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 09-06-92 बाबत् आराजी खसरा नंबर 380 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गैर मु0 नाला बहक परसी तथा तत्पश्चात् विरासत खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 187 दिनांक 03.06.2000 व खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 286 दिनांक 19-08-2004 तथा बेचान का नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 21-02-2005 स्वीकृत किए गए, जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। अप्रार्थी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया व शेष अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15-06-2006 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदिया, नाले, झीले और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत गैर मु0 नाला की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान नहीं किए जा सकते है। उनका अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म पुनः गैर मु0 नाला के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम हबीबपुर की	

रीडर नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बंदोबस्त खतौनी संवत 2003 में आराजी खसरा नं0 143 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा व एकीकरण खतौनी संवत् 2017 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार बने नवीन खसरा नंबर 46 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मु0 नाला सिवायचक के रूप मे अभिलिखित थी तथा मिलान क्षैत्रफल हाल बंदोबस्त संवत् 2039 के अनुसार उक्त खसरा नंबरान के नवीन खसरा नंबर 380 रकबा 0.80 हैक्टर बने है। चूँकि विवादित भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख से गैर मु0 नाला होना स्पष्ट है जो कि जलीय निकाय (water body) की भूमि है व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 के परिपेक्ष्य में अविधिक है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि का परसी पुत्र उकार माली के पक्ष में आवंटन किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है, उक्त आवंटन नियम विरूद्ध है तथा उक्त आवंटन आदेश की पालना में खोले गए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 09-06-92 बाबत् आराजी खसरा नंबर 380 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गैर मु0 नाला बहक परसी तथा तत्पश्चात् विरासत खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 187 दिनांक 03.06.2000 व खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 286 दिनांक 19-08-2004 तथा बेचान का नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 21-02-2005 तथा तत्पश्चात् राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि बाबत् अंकित किए गए समस्त इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त किए जाने योग्य है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।	

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि ख0नं0 360 रकबा 0.80 हैक्टर का परसी पुत्र उकार माली के पक्ष में किए गए आवंटन व उसके पश्चात् तस्दीक किए गए गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 09-06-92 व विरासत खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 187 दिनांक 03-06-2000 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 286 दिनांक 19-08-2004 तथा बेचान का नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 21-02-2005 तथा तत्पश्चात् विवादित भूमि बाबत् राजस्व अभिलेख में अंकित किए गए समस्त इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त किए जाते है तथा विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मु0 नाला के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की सूचना विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 30/1/17 (अन्तर सिंह) सदस्य	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/6441/2006/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम शान्ति	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15-6-17

एकलपीठ
श्री अन्तर सिंह, सदस्य

प्रश्नगत रेफरेंस प्रकरण में तहसीलदार, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक 390 दिनांक 11-05-17 मण्डल को प्रेषित कर अवगत करवाया कि हमारे द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-01-17 के पैरा सं0 7 में खसरा नं0 380 के स्थान पर 360 टंकित हो गया है, जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार के उक्त पत्र पर अति0 निबंधक (न्याय) द्वारा रेफरेंस प्रकरण हमारे समक्ष संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया।

हमने हमारे द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-01-17 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। निर्णय दिनांक 30-01-17 के पैरा नं0 7 में खसरा नं0 380 के स्थान पर खसरा नं0 360 टंकित हो गया है, जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निर्णय के पेज सं0 4 पंक्ति सं0 3 में खसरा नं0 360 के स्थान पर 380 अंकित किया जाकर पढ़े जाने के आदेश दिए जाते है। हस्तगत आदेश मण्डल के निर्णय दिनांक 30-01-17 का भाग पढ़ा व समझा जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/17

(अन्तर सिंह)
सदस्य